

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY



(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

सं.मानू/ई.आर-1(बी)/एफ.206/2021-22/516

29 सितंबर, 2021

अधिसूचना

कुलपति महोदय की अनुमति से प्रवेश, नियुक्तियों (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों) आदि, में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए समय-समय पर भारत सरकार/यूजीसी द्वारा जारी निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की स्थायी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है :

i.	कुलपति	अध्यक्ष
ii.	कुलसचिव	सदस्य
दो विभागाध्यक्ष:		
iii.	विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग (डॉ. करन सिंह ऊटवाल)	सदस्य
iv.	विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन (डॉ. कनीज़ ज़ेहरा)	सदस्य
प्रत्येक वर्ग में से तीन संकाय सदस्य		
v.	प्रो. परवीन जहान संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय	सदस्य
vi.	डॉ. एम. ए. सिकंदर एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य एवं प्रबंधन	सदस्य
vii.	डॉ. रफी मोहम्मद सहायक प्रोफेसर, शिक्षण एवं प्रशिक्षण विभाग महाविद्यालय/संस्थान के तीन प्रधानाचार्य	सदस्य
viii.	प्रधानाचार्य, सीटीई, दरभंगा (प्रो. मो. फ़ैज़ अहमद)	सदस्य
ix.	प्रधानाचार्य, पॉलीटेक्नीक, बैंगलोर (श्री. मोहम्मद रियाज़ुर रहमान)	सदस्य
x.	प्रधानाचार्य, महिला कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, बडगाम (श्रीनगर) (डॉ. गज़नफ़र अली खान)	सदस्य
संपर्क अधिकारी		
xi.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए संपर्क अधिकारी (डॉ. जनैद अहमद, सहायक प्रोफेसर, फ़ारसी विभाग)	सदस्य
xii.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी (श्री. शम्सुद्दीन अंसारी, क्षेत्रीय निदेशक, वित्त व लेखा अनुभाग)	सदस्य
xiii.	पीडब्ल्यूबीडी के लिए संपर्क अधिकारी (डॉ. सय्यद महमूद काज़मी, एसोसिएट प्रोफेसर, अनुवाद विभाग)	सदस्य
xiv.	ईडब्ल्यूएस के लिए संपर्क अधिकारी (डॉ. अबरार अहमद, सहायक कुलसचिव, योजना व विकास अनुभाग)	सदस्य
समन्वयक, आरक्षण प्रकोष्ठ		
xv.	डॉ. अश्वनी एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षण एवं प्रशिक्षण विभाग	संयोजक व सदस्य सचिव

2. समिति का कार्यकाल शुरू में इस अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. स्थायी सलाहकार समिति की एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी और निर्णय पर की गई कार्रवाई की अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी।

4. यह अधिसूचना पहले जारी अधिसूचना सं. मानू/ई.आर-1(बी)/एफ.206/2021-22/515 दिनांक 29.09.2021 का स्थान लेगी।

प्रति:

प्रभारी कुलसचिव

1. सभी सदस्यों को (2) सभी संकायाध्यक्ष अध्ययन संकाय, शिक्षण विभागों के विभागाध्यक्ष/केन्द्रों के निदेशक (3) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण/संकायाध्यक्ष, अनुसंधान/कुलानुशासक/प्रोवोस्ट/निदेशक, आईक्यूएसी/संकायाध्यक्ष, भूतपूर्व छात्र (4) निदेशक, डीडीई/क्षेत्रीय निदेशकों/सहायक क्षेत्रीय निदेशकों (5) निदेशक (प्रवेश) (6) सभी सीटीई/एससीडब्ल्यू, बडगाम/पॉलीटेक्नीक/सेटलाइट कैम्पस (लखनऊ) के प्रधानाचार्य (7) प्रभारी, आईटीआई (हैदराबाद, बैंगलोर एवं दरभंगा) (8) सभी अनुभाग अध्यक्ष/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (9) कुलपति/सम कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यालय (10) निदेशक, सीआईटी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु (11) संयुक्त सचिव (एससीटी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।